जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर **दिनांक – 14.09.2024**

थाना बढापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 184/24 धारा 108 बीएनएस के संबंध मे ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि आज दिनांक 14.09.2024 को वादी ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि दिनांक 11.09.2024 को वादी की चचेरी बहन अपनी सहेली के साथ कस्बा बढापुर से कस्बा नगीना गई थी, जिसकी कुछ समय बाद नगीना के कोतवाली फाटक पर ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई थी। घटना के बारे मे वादी की चचेरी बहन के साथ गई उसकी सहेली से जानकारी की तो पता चला कि वादी की चचेरी बहन नगीना पार्क मे आरिफ पुत्र फरमान निवासी ग्राम रामजीवाला थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर से मिली थी जिसने वादी की चचेरी बहन का फोन अपने पास रख लिया तथा फोन वापस देने के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा था जिससे प्रताडित होकर वादिनी की चचेरी बहन ने आत्महत्या कर ली।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 184/2024 धारा 108 बीएनएस बनाम आरिफ उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर   दिनांक – 14.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने 03 अभियुक्तो को अवैध शस्त्रो व घटना में प्रयुक्त गाडी सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण –

थाना चांदपुर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान गाडी सुजुकी एस-क्रॉस रजि नं0 UK07DB-2525 मे सवार तीन अभियुक्तगण 1.चन्द्रपाल सिंह उर्फ रवि पुत्र रामकिशन सिंह निवासी मौ0 काजीजादगान कस्बा व थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर, 2.मनोज कुमार पुत्र महिपाल सिंह सैनी निवासी ग्राम मानपुर थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर व 3.बन्टी सैनी पुत्र रघुवीर सैनी नि0 बंजाजान कस्बा बास्टा थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर को अवैध शस्त्रो सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 पोना बन्दूक 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 पोना बन्दूक 12 बोर मय 06 जिन्दा कारतूस, 01 पिस्टल 32 बोर मय 06 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किये गए।

बरामदगी के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 467/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से बरामद गाडी सुजुकी एस-क्रास उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि हमसे बरामद असलाहो को हमारे द्वारा कस्बा बास्टा के रहने वाले सरताज व उसके बेटे कैफ से खरीदा गया था। हम तीनो मुनाफा कमाने के उद्देश्य से इन असलाहो को अच्छो दामो पर बेचने की फिराक में जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.चन्द्रपाल सिंह उर्फ रवि पुत्र रामकिशन सिंह निवासी मौ0 काजीजादगान कस्बा व थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर।

2.मनोज कुमार पुत्र महिपाल सिंह सैनी निवासी ग्राम मानपुर थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर।

3.बन्टी सैनी पुत्र रघुवीर सैनी नि0 बंजाजान कस्बा बास्टा थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण

1. एक तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. एक पोना बन्दूक 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3. एक पोना बन्दूक 12 बोर मय 06 जिन्दा कारतूस।
4. एक पिस्टल 32 बोर मय 06 जिन्दा कारतूस 32 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 361 राजेन्द्र सिह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4. का0 2070 मोहित थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5. का0 1154 चरण थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
6. म0का0 911 राखी पुण्डीर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
7. म0का0 2154 निधि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 14.09.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 255/24 धारा 379/420/465/482 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.06.2024 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा परिलोक अस्पताल, धामपुर के बहार खडी वादी की मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP21L-7123 को चोरी कर लिया गया । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 255/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्तगण 1.पीयूष पुत्र महेन्द्रपाल सिंह व 2.केशव पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासीगण भूतपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये तथा अभियोग मे धारा 420/465/482 भादवि की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 14.09.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त केशव पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी भूतपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट- अभियुक्त पीयूष उपरोक्त थाना नगीना से संबंधित अभियोग में पूर्व से ही जेल मे निरूद्ध है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

केशव पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी भूतपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त केशव उपरोक्त

1. मु0अ0स0 255/24 धारा 379/420/465/482 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 163/24 धारा 420/411/414/465/482 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

2.कां0 1045 पवन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 14.09.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 514/2024 धारा 328/376/384/452/354ख/323/504/506/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.06.2024 को वादिनी ने अभियुक्तगण 1.रमन पुत्र निर्देश 2.प्रशान्त निवासीगण मौ0 जोशीयान थाना जसपुर जनपद ऊधमसिंह नगर (उत्तराखंड) के विरुद्ध कोल्ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देने व वादिनी के साथ गलत काम करने तथा वादिनी की आपत्तिजनक विडियो बना लेने तथा विडियो वायरल करने की धमकी देकर वादिनी से 3 लाख रूपये ले लेने तथा अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट किये जाने एवं अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बंध में कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 514/2024 धारा 328/376/384/452/354(ख)/323/504/506 भादवि पंजीकृत कराया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 14.09.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रशान्त पुत्र चुनमुन उर्फ मुकेश निवासी मौ0 जोशीयान थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) को गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 34 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्त रमन पूर्व में ही मा0 न्यायालय में हाजिर हो चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रशान्त पुत्र चुनमुन उर्फ मुकेश निवासी मौ0 जोशीयान थाना जसपुर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 मृदुल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.एसआई यूटी शिवम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.कां0 112 गौरव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 14.09.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

जनपद मे अवैध शस्त्रो के निर्माण/बिक्री/परिवहन व अपने साथ अवैध शस्त्रो को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना किरतपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शुएब पुत्र भूरा निवासी मौ0 लुहारान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 364/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शुएब पुत्र भूरा निवासी मौ0 लुहारान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

एक अवैद चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री शिवुकमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2. का0 689 गौरव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 14.09.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने चोरी की गयी 02 एवं घटना में प्रयुक्त 01 (कुल 03) मोटरसाइकिल सहित 04 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 13.09.2024 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा ग्राम धौलागढ नहर पुलिया के पास पुलिस द्वारा 04 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर इनके कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद की गयी। बाल अपचारियो द्वारा द्वारा चोरी की मोटर साईकिलों से नम्बर प्लेट हटाई गई तथा इंजन नं0 व चैसिस नं0 को भी मिटाने की कोशिश की गयी है। बरामद एक मोटरसाइकिल थाना नूरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 354/24 धारा 303(2) बीएनएस व एक मोटरसाइकिल थाना हल्दौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 268/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित है तथा तीसरी मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं कारित करने में प्रयुक्त की गयी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में बाल अपचारियों ने बताया कि दिनांक 10.09.2024 को हमने कस्बा नूरपुर से मोटरसाइकिल नं0 UP20BJ8942 स्पैलण्डर को नहटौर चौराहा कस्बा नूरपुर गैस एजेंसी के पास से चोरी किया था तथा लगभग 10 दिन पहले हल्दौर चौराहे से दारानगर गंज की तरफ जाने वाले रास्ते पर स्थित सैन्ट मैरी स्कूल के पास से स्पैलण्डर मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसकी नम्बर प्लेट उतारकर पहचान छुपाने की नियत से फेंक दी है। हमने लगभग ढाई महीने पहले अम्हेड़ा गांव के एक मकान से एक स्पैलन्डर मोटरसाइकिल साइकिल व एक छोटा मोबाईल फोन चोरी किया था तथा मोबाइल फोन रास्ते में फेंक दिया था। बरामद मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं0 UP20BJ8942 को चेक किया गया तो उक्त मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नम्बर UP20BJ6738 पाया गया, जिसके सम्बंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 354/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अजात पंजीकृत है तथा सैन्ट मेरी स्कूल के पास से चोरी की गयी मोटरसाइकिल के सम्बंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 268/24 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात तथा ग्राम अम्हेडा के घर से चोरी की मोटरसाइकिल व फोन के सम्बंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 191/24 धारा 380 भादवि बनाम अजात पंजीकृत है।

अभियुक्तगण का नाम व पता –

04 बाल अपचारी (पुलिस अभिरक्षा में)

बरामदगी का विवरण –

मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रंग सिल्वर रजि0नं0 UP20BJ8942

मोटरसाईकिल स्पैलण्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट

मोटरसाइकिल स्पैलण्डर रंग काला जिस पर नं0 DL9SJ8119

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह थाना नूरपुर बिजनौर

2.उ0नि0 प्रशिक्षु गौरव मलिक थाना नूरपुर बिजनौर

3.हे0कां0 138 सचिन मलिक थाना नूरपुर बिजनौर

4.कां0 11 गौरव कुमार थाना नूरपुर बिजनौर

5.कां0 नीरज पंवार थाना नूरपुर बिजनौर

6.कां0 आर्यन थाना नूरपुर बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 14.09.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0		नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1		बढापुर	नईम उर्फ टेना पुत्र वाहिद निवासी पक्का तालाब कस्बा बढापुर
2		बढापुर	नसीम पुत्र वाहिद निवासी पक्का तालाब कस्बा बढापुर
3		बढापुर	जावेद पुत्र शराफत निवासी मौ0 नौमी कस्बा बढापुर
4		शेरकोट	लोकेन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रनाथ सिंह निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना शेरकोट
5		शेरकोट	वेदपाल सिंह पुत्र मामचन्द नि0 ग्राम मुबारकपुर टप्पा भारती थाना शेरको
6		शेरकोट	मुनेश कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट
7		शेरकोट	विवेक कुमार पुत्र भूदेव सिंह निवासी मौ0 फतेहनगर कस्बा व थाना शेरक
8		नगीना	फईम पुत्र नफीस नि0 मौ0 कलालान थाना नगीना जनपद बिजनौर

थाना शेरकोट

थाना बढापुर

थाना नगीना

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर **दिनांक – 14.09.2024**

थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 242/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.09.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना मंडावर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजारामपुर के जंगल में नरेश कुमार के खेत से 25 किलोग्राम गौवंशीय खाल व गौवध में प्रयुक्त छुरी बरामद की गयी । घटना मे संलिप्त अभियुक्तगण मौका पाकर फरार हो गये थे । इस संबंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 242/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया ।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.असलम पुत्र अहसान 2.नसीम पुत्र रफीक अहमद 3.जावेद पुत्र अनीस 4.मकबूल उर्फ काले पुत्र रसीद 5.सलमान पुत्र उस्मान 6.फैय्याज पुत्र अनीस अहमद समस्त निवासीगण ग्राम राजारामपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 14.09.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र उस्मान निवासी राजारमपुर खादर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट- स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित तीन अभियुक्तगण असलम, नसीम व मकबूल उपरोक्त को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र उस्मान निवासी राजारमपुर खादर थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2.कां0 1181 हरेन्द्र कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर

3.कां0 1256 विपिन तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर